न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)
बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 53/2023 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर–2023/101
उनवान

1. श्री शिवसिंह पिता अनोपसिंह राजपुत, उम्र 62 वर्ष, निवासी धोलागिरखेडा, तह. अल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

–वादी

बनाम

1. श्री नरपतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री भगवतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री शक्तिसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री विक्रमसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्री शिवसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब /उपपंजीयक अधिकारी झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं
धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णयः:–

दिनांकः–26/03/2025

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार जैन–अधिवक्ता वादी
एक पक्षीय –प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5
पैरोकार सरकार तहसीलदा झल्लारा।

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है किग्राम केनर पटवार हल्का धोलागिरखेडा तह. झल्लारा जिला सलुम्बर में वादीगण के पिता स्व. श्री अनोपसिह पिता चतरसिंह राजपुत निवासी धोलागिरखेडा की कृषि भूमि स्थित थी जो जमाबन्दी संवत 2037–2040 के खाता सं. 3 आराजी नम्बर 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 250 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 251 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 252 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिसके वे एकमात्र स्वामी एवं मालिक थे, जिस पर वादी के पिता की मृत्यु के बाद वारिस वादी का कब्जा बेरोकटोक आज तक चला आ रहा है।

सहायक कलक्टर सलू..
जिला सलूम्बर

वादी के वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषी भूमी पर कब्जा आज तक चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग की गलती से बिना किसी उचित आदेश के वादी की भूमि में से आराजी नम्बर 247/2 का नया रकबा कायम नही किया तथा वादी की भूमि से दुर के आराजी नम्बर 256मीन से आराजी संख्या 1003 बनाया जबकि मौके अनुसार आराजी नम्बर 1003 पुराने आराजी नम्बर 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा से बनता है, पुराने नक्शे से मौके की स्थिति एकदम स्पष्ट है कि पुराने आराजी नम्बर 256 वादी की भूमि से काफी दुर है तथा मौके अनुसार आराजी नम्बर 1003 पुराने आराजी नम्बर 247/2 से ही बना है। सेटलमेन्ट अधिकारी ने जानबुझकर पुराने आराजी नम्बर 247/2 का नया आराजी नम्बर बनाया ही नहीं है तथा वादी के पुराने खाते के आराजी संख्या 251 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसका मिलान अनुसार आराजी नम्बर 1004 बनाया जिसका रकबा 0.02 हेक्टर बनाया जो कि गलत बनाया इस तरह सेटलमेन्ट अधिकारी ने मनमर्जी से बिना मौके का ध्यान रखते हुए वादी को नुकसान पहुंचाने की गरज से तथा प्रतिवीदगण को लाभ पहुंचाने की गलतमंशा से बिना किसी वैधानिक आदेश के मौके अनुसार मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाकर गलत तरीके से आराजी में तथा नक्शें में फेरफार किया गया, जो कि गलत है। वास्तव में पुराने आराजी नम्बर 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के मौके अनुसार आराजी नम्बर 1003 बनना चाहिये था तथा पुराने आराजी नम्बर 251 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 0.25 हेक्टर बनना चाहिये था, जो नही बनाकर केवल मात्र 0.02 हेक्टर का रकबा बना दिया जो कि गलत किया जिसे वादी दुरस्त कराने का अधिकार रखता है। जिससे आराजी नम्बर 1003 जो मौके अनुसार वादी की भूमि जिस पर वादी का कब्जा उसके पिता के जीवनकाल से आज तक बेरोकटोक चला आ रहा है जो आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.60 हेक्टर बनता है, जिसे वादी के नाम घोषित कर वादी के खाते किया जाना आवश्यक है तथा पुराने आराजी नम्बर 251 रकबा 1 बिघा 3 बिस्वा का आराजी नम्बर 1004 जिसका रकबा 0.25 हैक्टर बनना चाहिये, जिसे इसी अनुसार घोषित कराने का वादी अधिकारी है, इसलिये यह घोषणा का वाद पेश है।

वादी का आज भी मौके पर आराजी नम्बर 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 पर कब्जा चला आ रहा है। नये खाते में आराजी नम्बर 1003 भी वादी के नाम होना चाहिये था तथा आराजी नम्बर 1002 का रकबा 0.02 हेक्टर नहीं होकर 0.25 हेक्टर होना चाहिये था, जिसे वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल में दुरस्त कराने का अधिकारी है इसलिये यह घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद पेश है।यह कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हुई है। मौके पर आज भी वादी का कब्जा बदस्तुर बिना रोकटोक के चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 123 में श्रीमती सज्जन कुंवर का नाम भी खाते में दर्ज है लेकिन श्रीमती सज्जन कुंवर की मृत्यु हो चुकी है, इसलिये उन्हें वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है।वाद हेतुक सर्वप्रथम दिनांक 14–08–2023 को उत्पन्न हुआ जब वादी द्वारा अपने खाते की नकल प्राप्त करने हेतु पटवारी साहब से नकल प्राप्त की तो पता लगा उसके बाद अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उक्त वाद प्रस्तुत है जो अन्दर अवधि पेश है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय व डिक्री जारी की जावे–

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

(क) कि मौजा ग्राम केनर पटवार हल्का घोलागिरखेडा तह. झल्लारा की वर्तमान आराजी नं. 1003 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि का वादी को स्वामी घोषित कर वादी के खाते दर्ज की जाये।

(ख) कि मौझा ग्राम केनर पटवार हल्का धोलागिरखेडा तह. झल्लारा के वर्तमान आराजी नम्बर 1004 का रकबा 0.02 हैक्टेयर के बजाय 0.25 हेक्टर घोषित किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे एवं वादी के नाम आराजी नम्बर 1004 का रकबा 0.25 हेक्टर घोषित किया जावे व वादी के खाते दर्ज किया जावे।

(ग) कि माफिक घोषणा वादी के खाते भूमि दर्ज कर राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं मिलान क्षेत्रफल में इन्द्राज दुरस्त क्रिया जाये।

(घ) कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वादग्रस्त कृषि भूमि में कभी भी वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, न ही वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करे, न तो उक्त कृत्य स्वयं करे ना ही अपने नौकरो, परिजनों आदि से करावे।

वादी का वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र की नकल एवं पेशी की सूचना के सम्मन भेजे। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश चंचावत हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 08–07–2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश नही किया इसलिये प्रतिवादीगण सभी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया इसलिये इस वाद मे विवाधक नही बनाये गये है क्योंकि प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश नही किया है इसलिये एक तरफा के दस्तावेजो को एवं गवाहन के कथनो के एवं तहसीलदार झल्लारा की रिपोर्ट पर निर्णय करना है। वादीगण ने अपने वादपत्र की पुष्ठी मे निम्न दस्तावेजी सिबूत पेश किये है–

प्रर्दश–1	पुरानी जामबंदी संवत् 2026 से 2029
प्रर्दश– 2	नक्शा ट्रेस
प्रर्दश–3	मिलान क्षैत्रफल
प्रर्दश–4	जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 वादी के खाते की नकल
प्रर्दश–5	जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 प्रतिवादीगण के खाते की नकल
प्रर्दश–6	पुराने नक्शे की प्रमाणित प्रति
प्रर्दश–7	जमाबंदी संवत् 2037 से 2040

वादी ने अपने उक्त वाद पत्र की पुष्ठी निम्न गवाहन पेश किये पी.डब्ल्यु–1 शिवसिंह पिता अनारसिंह, पी.डब्ल्यु.–2 रायालाल पिता कचरा मीणा, पी.डब्ल्यु.–3 गोतमलाल पिता मोडाजी कलाल, पी.डब्ल्यु.–4 वेणीचंद पिता पुजालाल जैन को पेश किया।

वकील वादी ने बहस करते हुए कथन किया कि साबिक आराजी नम्बर 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के मौके अनुसार आराजी नम्बर 1003 बनना चाहिये था तथा पुराने

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

आराजी नम्बर 251 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का रकबा 0.25 हैक्टेयर बनना चाहिये था जो नही बनाकर केवल मात्र 0.02 हैक्टेयर बना दिया जो कि गलत किया जिसे वादी दुरस्त कराने का अधिकारी है। जिससे आराजी नम्बर 1003 जो मौके अनुसार वादी की भूमि जिस पर वादी का कब्जा उसके पिता के जीवनकाल से आज तक बेरोकटोक चला आ रहा है जो आराज नम्बर 1003 रकबा 0.60 हैक्टेयर बनता है, जिसे वादी के नाम घोषित कर वादी के खाते किया जाना आवश्यक है तथा पुराने आराजी नम्बर 251 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का आराजी नम्बर 1004 जिसका रकबा 0.25 हैक्टेयर बनना चाहिये, जिसे इसी अनुसार घोषित कराने का वादी अधिकारी है। वकील वादी ने आगे बहस की कि सेटलमेन्ट विभाग को किसी खातेदार का खाता निरस्त करने का अथवा अथवा अन्य प्रकार का परिवर्तन करने का कानून मे कोई अधिकार प्राप्त नही है सेटलमेन्ट विभाग 3 परिस्थिति मे खाते मे परिवर्तन कर सकता है पहला विरासत से दूसरा किसी सक्ष्म अधिकारी के आदेश से तीसरा न्यायालय की डिक्री के इसके अलावा राजस्व रेकार्ड मे पूर्व से चली आ रही प्रविष्ठीया बदलने का अधिकार नही है।अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मौजा ग्राम केनर पटवार हल्का धोलागिरखेडा तह. झल्लारा की वर्तमान आराजी नं. 1003 रकबा 0.60 हेक्टर भूमि का वादी को स्वामी घोषित कर वादी के खाते दर्ज की जाये। तथा मौजा ग्राम केनर पटवार हल्का धोलागिरखेडा तह. झल्लारा के वर्तमान आराजी नम्बर 1004 का रकबा 0.02 हे. के बजाय 0.25 हेक्टर घोषित किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

बहस मनन की गई। तथा वादीगण के उक्त वादपत्र की पुरी पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गवाहन के कथनो ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 आराजी नम्बर 247/2, 250, 251, 252 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि में ओनाडसिंह पिता चतरसिंह के नाम दर्ज अंकित है। मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 अनुसार साबिक आराजी नम्बर 250 रकबा 12 बिस्वा के नये नम्बर 1001 रकबा 0.11 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 251 रकबा 1 बिघा 3 बिस्वा के नये नम्बर 1002 रकबा 0.24 हैक्टेयर, साबिक आराजी नम्बर 252 रकबा 10 बिस्वा के नये नम्बर 1006 रकबा 0.13 हैक्टेयर बनना जाहिर होता है। प्रदर्श 4 मौजा केनर पटवार हल्का धोलागिरखेडा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 120 आराजी नम्बर/रकबा 1001/0.11; 1002/0.24, 1004/0.02, 1006/0.13 कुल किता 4 कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से एवं तहसीलदार झल्लारा की रिपोर्ट अनुसार सेटलमेन्ट के दोरान पुराने आराजी नम्बर 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का मिसल बन्दोबस्त में किसी भी प्रकार का नया नम्बर बनना नही बताया है। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम केनर की जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 के खाता संख्या 74 के आराजी नम्बर 256 मी. रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा खातेदार श्री लालसिंह, माधुसिंह पिता जवान सिंह राजपुत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि आराजी नम्बर256 मी का संवत् 2046 मिसल बन्दोबस्त से नवीन कुल 10 आराजी कुल रकबा 4.86 हैक्टेयर है उक्त नवीन आराजीयात नम्बर मे आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.60 हैक्टेयर, जो बना है वो गलत होकर सेटलमेन्ट के दोरान पुराने आराजी नम्बर 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का नवीन आराजी होना चाहिए था। आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि हाल जमाबंदी प्रदर्श 5 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित है। वादी ने अपने वाद के समर्थन मे प्रस्तुत समस्त गवाह ने अपने शपथ पत्र मे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नरपतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत के नाम गलत दर्ज होने की बात अंकित करते

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

हुए उक्त भूमि पर वादी शिवसिंह पिता अनारसिंह उर्फ अनोपसिंह का कब्जा उनके पिता के जीवन काल से आज तक चला रहा है, जिस पर शिवसिंह कि बाउण्ड्री वॉल (तारबंदी) बली हुई होना बताया है। प्रतिवादीगण का जवाब हेतु कई अवसर दिये गये उसके उपरान्त भी वादी के दावे के खण्डन मे न तो जवाब पेश किया न ही कोई गवाह पेश कराये। वादी का वादपत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, गवाहो के बयानात एवं तहसीलदार झल्लारा की रिपोर्ट को पढने के बाद मै नतीजे पर पहूँचा हूँ कि वादी मौजा केनर की वादग्रस्त आराज नम्बर 1003 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। वादी ने अपने वादपत्र मे मौजा केनर वर्तमान आराजी नम्बर 1004 का रकबा 0.02 हे. के बजाय 0.25 हेक्टर घोषित करने की दाद चाही है जो पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजा से साबित नही कर पाया है जिसका कोई अनुतोष दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः साबिक आराजी नम्बर 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा का मौके अनुसार बने नवीन आराज नम्बर 1003 के लिये वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा केनर पटवार हल्का धोलागिरखेडा भू.अ.नि. झल्लारा आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमिं प्रतिवादीगण के खाते से कम कर उक्त आराजीयात की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादवर्णित वादी के आराजीयात की कृषि भूमि में में दखलन्दाजी नहीं करे, न ही वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधानं उत्पन्न करे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण पाबंद रहे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावे। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार झल्लारा को लिखा जावे।

मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **26–03–2025** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर • सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलुम्बर, जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 53/2023 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2023/101

उनवान

1. श्री शिवसिंह पिता अनोपसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)

–वादी

बनाम

1. श्री नरपतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री भगवतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
3. श्री शक्तिसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
4. श्री विक्रमसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग
5. श्री शिवसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग

   सभी निवासीयान धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)
6. भूमिधारी तहसीलदार /उप–पंजीयक अधिकारी झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादी की ओर से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार जैन एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की एक पक्षीय एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26–03–2025 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं किः– वादि का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा केनर पटवार हल्का धोलागिरखेडा भू.अ.नि. झल्लारा आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के खाते से कम कर उक्त आराजीयात की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादवर्णित वादी के आराजीयात की कृषि भूमि में में दखलन्दाजी नहीं करे, न ही वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण पाबंद रहे।। पालनार्थ डिक्री की एक प्रति तहसीलदार झल्लारा को भेजी जावे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक **26–03–2025** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर • सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(शान्ति लाल जैन RAS)
सहायक उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला सलूम्बर